राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ 29 (87) एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बी.ए./13/ 586 दिनांक 1/5/2013

परिपत्र

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों को राज्य सरकार द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के आधार पर नवीनतम अनुमोदित बीपीएल चयनित सूची के आधार पर दिया जाता है। परन्तु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया है कि बीपीएल परिवार के नवजात शिशु नामकरण नहीं होने एवं उसका नाम बीपीएल सूची में नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नवजात शिशु को दिये जाने में समस्या हो रही है। अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि कि नवजात शिशु को उसके माता/पिता के नाम के आधार पर इस योजना का लाभ प्रदान किये जाये। इस संबंध में बच्चे के माता/पिता अथवा बीपीएल परिवार के मुखिया का बीपीएल क्रमांक अंकित कर लिया जाये तथा शिशु के माता/पिता/परिवार के मुखिया से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट 4 पर संलग्न) ले लिया जाये।

यघपि विभाग द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि इस योजना का लाभ ऑन लाईन बीपीएल सूची से मिलान कर दिया जावे परन्तु ऑन लाईन बीपीएल सूची में बीपीएल परिवारों के मुखिया का नाम ही दर्ज है तथा उसके पश्चात् सदस्यों की संख्या अंकित की गयी है, शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों की ऑन लाईन सूचियां इसी प्रकार की है। इसके अतिरिक्त कुछ रिकार्डो में तकनीकी त्रुटियां भी है जिससे योजना का लाभ दिये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में सभी जिलों की बीपीएल सूची के अघतन का कार्य प्रगति पर है। अतः इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि जब तक बीपीएल सूची के अघतन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तब तक रोगी का नाम ऑन लाईन सूची में नहीं होने पर परिवार के मुखिया के नाम का मिलान कर अविलम्ब चिकित्सा प्रदान की जाये तथा इस हेतु रोगी/परिवार के मुखिया से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पर (परिशिष्ट 4 पर संलग्न) ले लिया जावे एवं रोगी के सहायक को 24 घण्टे में बीपीएल का कार्ड/नरेगा कार्ड/आस्था कार्ड/राशन कार्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे रोगी के बीपीएल

परिवार के सदस्य होने का सत्यापन किया जा सकेगा। उक्त निर्धारित घोषणा पत्र आवश्यकतानुसार चिकित्सालय द्वारा मुद्रित करवा लिये जावे।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों के सदस्यों को ही देय होगा। अतः साक्ष्य के रूप में नरेगा कार्ड प्रस्तुत करने पर बीपीएल अंकन वाले नरेगा कार्ड ही मान्य होगें। सामान्य नरेगा कार्डधारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

राजस्थान राज्य के बीपीएल परिवारों के मरीजों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से राजकीय चिकित्सालयों में सम्पूर्ण इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही ह्रदय, कैंसर एवं किडनी रोग का इलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाने पर 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिनांक 01.04.2013 जारी किया जा चुका है। इस संबंध में निम्नांकित निर्देश योजना के सफल संचालन हेतु प्रदान किये जाते है:

1. **उक्त योजना का लाभ बीपीएल/स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों के मरीजों को ही चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इलाज करवाने पर दिया जायेगा। (चिन्हित निजी चिकित्सालयों की सूची संलग्न)**
2. **इन मरीजों का प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत सम्पूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है।**
   अब इस योजना के तहत हार्ट, किडनी एवं कैंसर के रोगियों को इलाज हेतु रेफर किया जाकर प्रति रोगी अधिकतम एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) को बैंकर्स चैक/डीडी के माध्यम से दी जा सकेगी। शेष राशि यदि कोई हो तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
3. **प्रत्येक जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल स्तर पर 3 सदस्य की कमेटी गठित की जायेगी जिसमें जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित रोग का वरिष्ठ चिकित्सक (न होने की दशा में सर्जन) एवं वरिष्ठतम लेखाकर्मी/लेखाधिकारी सदस्य होगें। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्तर पर अधीक्षक, संबंधित रोग के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठतम लेखाकर्मी सदस्य होगें। उक्त कमेटी द्वारा स्वीकृति जारी करने पर उक्त रोगी चिन्हित निजी चिकित्सालयों में**

अपना इलाज प्रारम्भ करवा सकता है एवं सहायता राशि के लिए प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज –चिन्हित निजी चिकित्सालय द्वारा जारी बीमारी पर सम्भावित व्यय विवरण, बीपीएल कार्ड आदि सहित संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा जहाँ दस्तावेज के परीक्षणोपरांत भुगतान आदेश संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय को जारी किया जायेगा। चिन्हित निजी चिकित्सालय कमेटी की स्वीकृति उपरांत भर्ती हुए ऐसे मरीजों का उपचार तुरन्त प्रारम्भ करेंगे।

4. चिन्हित निजी चिकित्सालय बैंक में अपना खाता इस प्रकार से खुलवायेगे जिसमें संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय का नाम व इस योजना का नाम दोनों सुपरिभाषित हो इस खाते में समय–समय पर सहायता राशि जमा होगी। जिसका भुगतान मरीज के डिस्चार्ज करने के उपरांत चिन्हित निजी चिकित्सालयों को राशि प्राप्त/विड्रा करने का अधिकार होगा किन्तु उसके साथ – साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि–

   (i) यदि रोगी के रोग निदान में पूर्ण राशि का व्यय नहीं हो पाया तो चिन्हित निजी चिकित्सालय को जिस संस्थान ने भुगतान स्वीकृति एवं डीडी/चैक प्रदत्त किया है शेष राशि को तत्काल बैंक चैक/डीडी आदि द्वारा उसी के खाते में अवशेष राशि का रिफंड किया जायेगा।

   (ii) यदि किसी कारणवश अथवा अन्य किसी परिस्थिति में रोगी की सहायता राशि का व्यय नहीं हो पाता है तो तत्काल इस योजना के खाते (स्टेट हैल्थ सोसायटी) में पूर्ण राशि जमा करायी जायेगी।

5. यदि प्रकरण में चिन्हित निजी चिकित्सालय रोगी के इलाजरत जिले से बाहर किसी अन्य जिले में स्थित हो तो संबंधित जिला चिकित्सालय/संबंधित मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय प्रकरण उस संबंधित जिले के जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को रैफर करेगें एवं प्रकरण के परीक्षण/भुगतान संबंधी स्वीकृति जारी करने संबंधी कार्यवाही रैफर्ड जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वारा सम्पादित की जायेगी। अत्यावश्यक, आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित जिला चिकित्सालय/ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय सीधे अन्य जिले के चिन्हित निजी चिकित्सालयों को रैफर कर सकेंगे एवं उसकी सूचना उसी दिन उस जिले के जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यालय आदेशों पर हस्ताक्षर करने हेतु संबधित जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अधीक्षक को अधिकृत किया जाता है। बजट आवंटन मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत वर्तमान में जारी प्रकिया अनुसार ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को किया जायेगा। कार्यालय उपयोग हेतु एक चैक लिस्ट भी प्रत्येक प्रकरण में काम ली जायेगी जिसके अन्तर्गत मुख्यतः परीक्षण निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा – नाम, बीपीएल कार्ड नम्बर, फोटो, बीमारी का नाम, योजना के अन्तर्गत पहली बार ही लाभ लिया जा रहा है, बाबत शपथ पत्र, अनुमानित व्यय विवरण पत्र आदि।
7. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रोगी को सादा कागज पर फोटो सहित आवेदन (Annex-I) संबंधित जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी /मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अधीक्षक को करना होगा। जिसमें मुख्यतः मरीज का नाम, रोग का नाम, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कमाक, पूर्ण पता, रजिस्ट्रेशन नम्बर, सम्पर्क सूत्र, उपचार/ऑपरेशन आदि बिन्दु शामिल किये जाये। आवेदन पत्र के साथ संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालयों के द्वारा भर्ती रोगी के इलाज पर होने वाले सम्भावित व्यय का प्रमाण पत्र (एस्टीमेट) ट्रीटिंग डॉक्टर जिसका प्रमाणीकरण प्रभारी, चिन्हित निजी चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा, देना होगा (Annex-II) । समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति सहित एक अतिरिक्त प्रमाणित फोटो प्रति के सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।
8. उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों के प्राप्त होने पर संबंधित जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालयों को सहायता राशि का बैंकर्स चैक/डीडी भुगतान हेतु ऑन लाईन/ऑफ लाईन, सॉफ्ट/हॉर्ड कॉपी भेजी जायेगी। जिसका भुगतान मरीज के डिस्चार्ज होने के पश्चात चिन्हित निजी चिकित्सालय प्राप्त कर सकेगा।
9. संबंधित बीपीएल/स्टेट बीपीएल रोगी को अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में उक्त योजना का लाभ मात्र एक बार ही दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अधिकतम सहायता राशि 1 लाख रूपये तक अथवा रोग के निदान में होने वाली राशि जो भी कम होगी का भुगतान किया जायेगा। **(Actual Expenditure amount on treatment or Rs. 1 lac. Whichever is**

less, should be paid to the Private enlisted Hospital in this scheme, the rest shall be borne by the beneficiary himself/herself)

10. चिन्हित निजी चिकित्सालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व में जारी परिपत्र कमांक : प 16(31) एम.ई./ग्रुप –1/2012 जयपुर दिनांक 11.4.2012 (प्रति संलग्न) के अनुसार उन्हें प्रत्येक माह 5 बीपीएल मरीजों का सम्पूर्ण निःशुल्क इलाज पूर्व नियमानुसार ही निरन्तर किया जाता रहेगा।

11. यदि किसी प्रकरण में रोगी/संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर/हेराफेरी, गबन कर किसी प्रकार का लाभ इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है तो रोगी व संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही – संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय को डीलिस्ट करना, 10 लाख रूपये की पैन्लटी के साथ–साथ 10 प्रतिशत ब्याज, राशि जारी करने की तिथि से वसूलनीय होगी। मरीज द्वारा उपरोक्त आशय का घोषणा पत्र 10 रूपये के नार्न ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अण्डरटेकिंग (Annex-III) पर देना होगा, साथ ही संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय द्वारा भी उक्त आशय का बॉण्ड भरकर देना होगा।

    इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षों के लिए बाध्य होगा।

12. चिन्हित निजी चिकित्सालय प्रतिमाह जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अधीक्षक कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति विवरण पत्र (डिस्चार्ज रोगियों से संबंधित सूचना) भिजवायेगे। जिसका मिलान कार्यालय रिकार्ड से किया जायेगा।

13. कार्यालय में निर्धारत प्रारूप में ऑन लाईन/ऑफ लाईन डेटा एन्ट्री की जायेगी जिसमें मुख्य रूप से कम संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, रोगी का यूनिक नम्बर होगा अर्थात मरीज से संबंधित सभी सूचनाऐं यूनिक नम्बर डालते ही प्राप्त हो सकेगी एवं संबंधित कॉलम में मुख्य विवरण यथा कमांक, मरीज के पिता/पति, उम्र, लिंग, पता, दूरभाष नम्बर, बीपीएल कार्ड नम्बर, बीमारी का नाम, निजी चिकित्सालय का नाम, खर्चे का विवरण, स्वीकृत राशि, बैंक चैक नम्बर, राशि, दिनांक, चिकित्सालय का नाम आदि।

14. योजना के सफल संचालन हेतु विभागीय टीम सभी चिन्हित निजी चिकित्सालयों के निरीक्षण/भ्रमण पर जाकर ऑडिट भी कर सकेगी। संबंधित चिन्हित निजी

चिकित्सालयों का यह दायित्व है कि वे ऑडिट पार्टी को संबंधित सहयोग/ दस्तावेज ऑफ लाइन/ऑन लाईन उपलब्ध करायेगे एवं कार्यालय द्वारा समय –समय पर जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगे। आडिट टीम द्वारा चिन्हित निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण करने के साथ–साथ मरीजों का इलाज से पूर्व, इलाज के समय, एवं इलाज के पश्चात् भी सत्यापन किया जा सकता है तथा विस्तृत जानकारी ली जा सकेगी। जिसमें रोगी/परिवारजन, संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालयों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालयों से समय–समय पर वांछित सूचनाऐं चाहे जाने पर वे तत्काल कार्यालय/ऑडिट टीम को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें। ऐसा नहीं करने पर नियमों का उल्लघन माना जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकता होने पर कार्यालय दूरभाष न. 0141–2223174, 0141–5110731 पर एवं ई मेल आई डी pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm @yahoo.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

15. बीपीएल मरीज हेतु जारी सहायता राशि चिन्हित निजी चिकित्सालय के खाते में आने की दिनांक से वास्तविक रूप में उन्हें भुगतान होने की तिथि के बीच अनुपयोगी रहने की अवधि का ब्याज योजना के खाते (स्टेट हैल्थ सोसायटी) में जमा कराने का दायित्व संबधित चिन्हित निजी चिकित्सालय का होगा। योजना के सफल संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृतियां पूर्व प्रकिया अनुसार ही स्टेट हैल्थ सोसायटी के खाते से जारी की जायेगी।
16. संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालयों द्वारा यथासंभव ऑन लाईन ही सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जायेगा। सम्पूर्ण योजना ऑन लाईन किया जाना प्रस्तावित है। आवेदन पत्र का प्रारूप (I), चिन्हित निजी चिकित्सालयों द्वारा संधारित पंजिका का प्रारूप (IV), मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना/जिला चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में संधारित पंजिका का प्रारूप (V) अनुसार होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत सवाई मानसिंह चिकित्सालय की दरों के आधार पर Diagnosis / treatment हेतु ही सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी। (As per CRMF Procedure)
18. रोगी का उपचार पूर्ण होने/डिस्चार्ज होने के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर कोई सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
19. योजना के किसी भी बिन्दु पर संशोधन/परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

20. मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ठ IV,V) में प्रति माह 5 तारीख तक परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष– एनआरएचएम, जयपुर को प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव चि. एवं स्वा., प. क. एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक(वित्त) एनआरएचएम, जयपुर ।
9. समस्त प्रधानाचार्य एव नियंत्रक /अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ,राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
11. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान। (जिले के समस्त CHCs व PHCs को भी उपलब्ध करावें)
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
15. प्रभारी सर्वर रूम को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

Sd.

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ORDER

No: F.6(4) FD (rules)/2003 Jaipur, Dated

Rajasthan Civil Services (Medical Attendance Rules, 2008 - list of "Approved Hospitals"

1. S.K. Soni Hospital, Jaipur
2. SantokbaDurlabhji Memorial Hospital, Jaipur
3. Gheesibai Mittal Hospital, Ajmer

Multi Specialty Hospitals:

4. Bhandari Hospital and Research Center, Jaipur
5. Fortis Escorts Hospital, Jaipur
6. Mahatma Gandhi Medical College & Hospital, Jaipur
7. Saket Hospital, Jaipur
8. Tagore Hospital & Research Institute, Jaipur
9. Apex Hospital, Jaipur
10. Jaipur Hospital, Jaipur
11. NIMS Hospital, Jaipur
12. Mittal Hospital, Alwar
13. Lifeline Hospital Alwar
14. Ramsnehi Hospital and Research Center, Bhilwara
15. Kothari Medical & Research Institute, Bikaner
16. Goyal Hospital & Research Center, Jodhpur
17. BhartVikasParishad Hospital & Research Center, Kota
18. FrotisModi Hospital , Kota
19. Jaisawal Hospital &Neuro Institute , Kota
20. Sudha Hospital & Medical Research Center, Kota
21. Gitanjali Medical College and Hospital, Udaipur
22. MaaGayatri Hospital, Udaipur
23. Kalpana Nursing Home, Udaipur
24. GBH American Hospital, Udaipur
25. Global Hospital & Research Center, MountAbu

Only for Cardiology and CT Surgery Super Specialty Hospitals

26. Heart & General Hospital, Jaipur
27. Jaipur Heart Institute, Jaipur

Only for Neurosurgery Super Specialty Hospital

28. Indowestern Brain & Spine Hospital, Jaipur

Only for Oncology Super Specialty Hospital

29. BhagwanMahaveer Cancer Hospital and Research Center, Jaipur

Only for Ophthalmology Super Specialty Hospital

30. Anand Hospital and Eye Center, Jaipur
31. Kshetrapal Eye Hospital &Lasic Laser Center, Ajmer

Only for Cardiology Super Specialty Hospital

32. Kota Heart Institute, Kota

Multi Specialty Hospitals:

33. NarayanaHrudayalaya Hospital, Jaipur
34. Porwal Hospital, Bhilwara

    Only for Gastroenterology Specialty Hospital:

35. S.R. Kalla MemorialGastroenterology & General Hospital, Jaipur

    Only for Ophthalmology Specialty Hospitals:

36. K.C. Memorial Eye Hospital, Jaipur
37. Dr. Virendra Laser &Phaco Surgery Center, Jaipur

    Only for ENT Specialty Hospitals:

38. Jain ENT Hospital, Jaipur

    Multi Specialty Hospitals:

39. Solanki Hospital, Alwar
40. Krishna Hospital, Bhilwara

    Only for Ophthalmology Specialty Hospital

41. Sahai Hospital and Research Center, Jaipur

    Multi Specialty Hospital:

42. Shri K.M. Memorial Jain Heart & General Hospital, Sikar

    Multi Specialty Hospital:

43. Aravali Hospital, Udaipur

    Only for Orthopedics Specialty Hospitals:

44. Jyoti Nursing Home, Jaipur

    Multi Specialty Hospital:

45. Kamala Nagar Hospital, Jodhpur

    Multi Specialty Hospital:

46. Kailash Hospital, Behror, Alwar

    Only for Ophthalmology Specialty Hospital

47. Dr. Kothari's Eye Hospital, Uaipur

    Multi Specialty Hospital:

48. ManasArogyaSadan Heart Care and Multi- Specialty Hospital, Jaipur

    Multi Specialty Hospital:

49. Dhanvantri Hospital and Research Center , Jaipur
50. G.P. Shekhawati Hospital and Research Center , Jaipur
51. Marudhar Hospital, Jaipur

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष

योजना

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पूर्व कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का गठन कर की गयी थी। इस विशिष्ठ योजना में मुख्य रूप से गंभीर रोगों से ग्रस्त राज्य की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों के उपचार हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का कियान्वयन संभागीय स्तर पर किया जा रहा है।

राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के इन्डोर एवं आउटडोर रोगियों को मेडिकल कॉलेज से संबद्व चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क निदान एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

बी.पी.एल परिवारो के मरीजो का हृदय, केंसर एवं किडनी रोग का ईलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयो मे करवाने पर 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना के उद्देश्य

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आउटडोर एवं इन्डोर रोगियों को राज्य के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधां उपलब्ध करवाना जिसमें रोग के निदान एवं उपचार से संबंधित समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जा रही है।

योजना के लिए पात्रता

राज्य सरकार द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के आधार पर नवीनतम अनुमोदित बीपीएल चयनित **(केन्द्र / राज्य सरकार तथा अन्त्योदय परिवार)**सूची के परिवारों के रोगी निःशुल्क

उपचार /**हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग का ईलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयो मे करवाने पर 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाने हेतु** पात्र होंगे।

योजना का प्रारूप

1. इस योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने नजदीक के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्व चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर बीपीएल कार्ड/आस्था कार्ड अथवा नरेगा कार्ड जिसमें बीपीएल का ब्यौरा होता है, प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर रोगी को उस चिकित्सा संस्थान में उपचार, औषधियां एवं जॉच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।
   बीपीएल होने के उक्त प्रमाण पत्र भर्ती के समय उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में भी रोगी के नाम का मिलान ऑन लाईन बीपीएल सूची से कर तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी तथा बीपीएल रोगी के सहायक का 24 घण्टें में बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
2. सामान्य रोगों से ग्रस्त रोगियों का उपचार /निदान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जायेगा परन्तु गंभीर बीमारियों के रोगियों का उपचार / निदान की सुविधा सैटेलाईट चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेजों से संबद्व चिकित्सालयों में प्रदान की जायेगी।
3. रोग संबंधी उपचार /निदान की सुविधा मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्व चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होने पर रोगी को राज्य के बाहर रोग के निदान/उपचार हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ में भेजा जा सकेगा।
4. इस योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा हेतु औषधियां मेडिकेयर रिलिफ समितियों द्वारा स्वयं के स्तर पर कय की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर लगाये जाने वाले कृत्रिम अंग / उपकरण भी मेडिकेयर रिलिफ समितियों द्वारा ही उपलब्ध करवाये जायेंगे।
5. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों के उपचार / औषधियों पर होने वाले समस्त व्यय का सम्पूर्ण रिकार्ड एवं लेखों का संधारण पृथक से

रखा जायेगा। बीपीएल परिवारों की चिकित्सा पर किये गये वास्तविक व्यय का पुनर्भरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा। **बीपीएल मरीजों का प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत सम्पूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। अब दिनांक 01.04.2013 से इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के हार्ट, किडनी एवं कैंसर के रोगियों को इलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) में रेफर किया जाकर प्रति रोगी अधिकतम एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) को बैंकर्स चैक/डीडी के माध्यम से दी जा सकेगी। शेष राशि यदि कोई हो तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।**

6. योजना के संचालन हेतु मेडिकेयर रिलिफ समितियों के माध्यम से फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी ।
7. योजना के कियान्वयन हेतु निम्न प्रकार वित्त की व्यवस्था की जावेगी:–

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज	–	50 लाख रूपये
अन्य मेडिकल कॉलेज	–	25 लाख रूपये प्रत्येक
जिला/सैटेलाईट चिकित्सालय	–	5 लाख रूपये प्रत्येक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	1 लाख रूपये प्रत्येक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	10 हजार रूपये प्रत्येक

यह राशि उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों को अग्रिम राशि के रूप में आवंटित की जायेगी। इस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा व्यय होने की स्थिति में चिकित्सा विभाग द्वारा इसका पुनर्भरण किया जायेगा।

8. अधिकांश रोगों में रोग के पूर्ण निदान हेतु लम्बे समय तक औषधियों की आवश्यकता होती है। अतः इस योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रथम सप्ताह/माह की औषधियां मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय से तथा फॉलोअप के लिए रोगी की सुविधानुसार जिला अस्पताल, सैटेलाईट चिकित्सालय अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उसी Prescription के आधार पर चिकित्सक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उपलब्ध करवायी जायेंगी।
9. इस योजना के कियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से एक विशेष ऑन लाईन मानिटरिंग प्रणाली स्थापित की जायेगी, इस हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा

जिसमें समस्त बीपीएल परिवारों की सूचनाऐं उपलब्ध रहेगी। इस ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध सूचना के आधार पर बीपीएल परिवार के रोगी को पहचान पत्र के अभाव में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकेगी। बीपीएल रोगी के उपचार का विवरण भी इस सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा जिससे इस सुविधा का दुरूपयोग रोका जा सकेगा तथा इसकी उपलब्धता सर्वत्र होगी तथा इससे राशि के दुरूपयोग रोकने में भी मदद मिलेगी।

10. चिकित्सा संस्थानों में बीपीएल रोगी की सहायता हेतु बीपीएल काउन्टर की स्थापना की जायेगी। बीपीएल सहायता काउन्टर के संचालन के लिए मेडिकल कॉलेज से संबद्व चिकित्सालयों , सैटेलाईट चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों में 3–3 कार्मिकों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक–एक कार्मिक की नियुक्ति संविदा के आधार पर मेडिकेयर रिलिफ समितियों के माध्यम से की जायेगी। उक्त कार्मिक बीपीएल परिवार के रोगियें को प्रत्येक स्तर पर सहायता उपलब्ध करवायेंगे । इन कार्मिकों के वेतन का पुनर्भरण मेडिकल रिलिफ समितियों को राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
11. बीपीएल रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर किये जाने की स्थिति में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा की जायेगी।
12. बीपीएल परिवार के रोगियों को आउटडोर में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मेडिकेयर रिलिफ समितियों की आय का 25 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाता है, परन्तु कुछ जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मेडिकेयर रिलिफ समितियां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण यह राशि अपर्याप्त है। अतः उक्त चिकित्सा संस्थानों की मेडिकेयर रिलिफ समितियों को बीपीएल परिवार के रोगियों को निःशुल्क आउटडोर सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

योजना का कियान्वयन

इस योजना के सफल कियान्वयन के लिए निम्न प्रकार व्यवस्थायें की जायेंगी:–

1. मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्व चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों तथा सैटेलाईट चिकित्सालयों में तीन विशेषज्ञों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो चिकित्सकों की एक

समिति बनायी जायेगी। जिसमें आवश्यक रूप से एक सदस्य उक्त चिकित्सा संस्थान का प्रभारी सम्मिलित होगा।

2. बीपीएल परिवार के रोगी के चिकित्सा संस्थान पर आने पर बीपीएल सहायता काउन्टर के माध्यम से रोगी का विशेष टिकट बनाया जायेगा । जिसके आधार पर रोगी को चिकित्सा संस्थान मे उपचार / निदान की सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेंगी।
3. संबंधित रोग का विशेषज्ञ औषधियों, कृत्रिम अंगों / उपकरणें का इन्डेंट मेडिकेयर रिलीफ समिति को भेजेगा जिसके आधार पर मेडिकेयर रिलीफ समिति से औषधियां उपलब्ध करवायी जायेंगी तथा कृत्रिम अंग / उपकरणें की आवश्यकता होने पर उपरोक्त समिति के सत्यापन पश्चात् मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।
4. चिकित्सा संस्थान के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि कोई भी बीपीएल परिवार का रोगी जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार से चिकित्सा सुविधा के लिए वंचित ना रहे। बीपीएल परिवार के रोगियों की चिकित्सा से संबंधित समस्त सुविधाऐं पूर्णतया नगद लेन देन रहित (Cash less) होगी।
5. **बीपीएल मरीजों का प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत सम्पूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। अब दिनांक 01.04. 2013 से इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के हार्ट, किडनी एवं कैंसर के रोगियों को इलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) में रेफर किया जाकर प्रति रोगी अधिकतम एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों (राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित) को बैंकर्स चैक/डीडी के माध्यम से दी जा सकेगी। शेष राशि यदि कोई हो तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।**

   प्रत्येक जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल स्तर पर 3 सदस्य की कमेटी गठित की जायेगी जिसमें जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित रोग का वरिष्ठ चिकित्सक (न होने की दशा में सर्जन) एवं वरिष्ठतम लेखाकर्मी/लेखाधिकारी सदस्य होगें। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्तर पर अधीक्षक, संबंधित रोग के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठतम लेखाकर्मी सदस्य होगें। उक्त कमेटी द्वारा स्वीकृति जारी करने पर बीपीएल रोगी चिन्हित निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा सकता है एवं सहायता राशि के लिए प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज –चिन्हित निजी चिकित्सालय

द्वारा जारी बीमारी पर सम्भावित व्यय विवरण, बीपीएल कार्ड आदि सहित संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा जहॉ दस्तावेज के परीक्षणोपरांत भुगतान आदेश संबंधित चिन्हित निजी चिकित्सालय को जारी किया जायेगा।सम्पूर्ण दिशा–निर्देश /परिपत्र संलग्न है

6. जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त समय–समय पर चिकित्सा संस्थानों में जाकर बीपीएल परिवारों के रोगियेां को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेगे।

सम्पर्क सूत्र

रोगग्रस्त व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने अथवा निदान/उपचार प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो लाभार्थी सीधे ही निम्न अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है:–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर संबंधित. ।
3. निदेशक, अस्पताल प्रशासन , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं।
4. प्रधानाचार्य/नियंत्रक संबंधित मेडिकल कॉलेज।
5. **परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष**
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिला चिकित्सालय ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।

(Annex-I)

नवीनतम फोटो पासपार्ट साइज

आवेदन पत्र

श्री.. पुत्र श्री.. निवासी.. ....बीपीएल कार्ड न. .... दूरभाष न. ....रोग से ग्रसित है.......................................इस रोग के उपचार/ऑपरेशन हेतु चिकित्सालय ....द्वारा प्रदत्त अनुमानित व्यय विवरण पत्र संलग्न कर निवेदन है कि नियमानुसार सहायता राशि शीघ्र जारी कराने का कष्ट करे।

संलग्न– अनुमानित व्यय विवरण पत्र

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम ....

पता..........................

कान्टेक्ट नम्बर (यदि हो) ....

Annex -II

चिन्हित निजी चिकित्सालय द्वारा दिया जाने वाला अनुमानित व्यय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती ....निवासी.. बीपीएल कार्ड संख्या .... जो कि ....रोग से पिड़ित है एवं इनके उपचार/ऑपरेशन पर अनुमानित राशि .... रूपये के व्यय की सम्भावना है।

दिनांक

ट्रीटिंग डॉक्टर के हस्ताक्षर

नाम

सील

(Annex-III)

(दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत ईलाज प्राप्ति हेतु

शपथ–पत्र /अण्डरटेकिंग

मैं ....(परिवार का मुखिया) पुत्र श्री ....निवासी ... . बीपीएल कार्ड न.. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि रोगी श्री .... पुत्र श्री ....चिकित्सालय..................................में उपचार /ऑपरेशन आदि बाबत मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से सहायता हेतु प्राप्त राशि का उपयोग रोगोपचार में ही उक्त चिन्हित निजी चिकित्सालय का नाम व स्थान ....में किया जायेगा एवं इलाज के उपरांत शेष रही राशि / अनउपयोगी राशि तत्काल मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष – एनआरएचएम, जयपुर में जमा करवा दी जायेगी।

यह है कि उपयुर्क्त घोषणा भविष्य में गलत पायी जाने पर इलाज हेतु खर्च की गयी राशि मय 10% वार्षिक ब्याज के चुकाने हेतु मैं व मेरा समस्त परिवार उत्तरदायी रहेगा।

यह है कि मुझे व मेरे परिवार को यह भी विदित है कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर मेरे/मेरे परिवार के सदस्य के विरूद्व उचित विधिक (अपराधिक कार्यवाही सहित) कार्यवाही भी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

दिनांक

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

नोटेरी पब्लिक /जनप्रतिनिधि/दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

(Annex-IV)

चिन्हित निजी चिकित्यालय का नाम, स्थान.. मासिक व्यय विवरण पत्र माह...................................

क.स.	रोगी का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	लिंग	बीपीएल कार्ड संख्या	रैफर सरकारी चिकित्सालय का नाम / पत्रांक / दिनांक	पंजियन संख्या	भर्ती दिनांक	रोग का नाम	उपचार / ऑपरेशन	व्यय राशि विवरण	डिस्चार्ज दिनांक	बीसी / डीडी–न. / दिनांक	बीसी / डीडी–की राशि	अन्य विवरण
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
योग															

हस्ताक्षर प्रभारी

दिनांक

नाम ....

पद................................

मय मोहर

(Annex-V)

जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का नाम, स्थान...

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष योजना के अन्तर्गत 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि का मासिक विवरण पत्र माह..............

क.स.	रोगी का नाम	पिता/पति कानाम	आयु	लिंग	बीपीएल कार्ड संख्या	पंजियन संख्या	भर्ती दिनांक	रोग का नाम	रैफर्ड चिन्हित निजी चिकित्सालय का नाम /पत्रांक/दिनांक	बैंक का नाम /बीसी/डीडी–न./दिनांक	बीसी/डीडी –की राशि	अन्य विवरण
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
योग												

हस्ताक्षरलेखाकार/वरिष्ठतम लेखाकर्मी

नाम..........................

पद............................

मय मोहर..........................

हस्ताक्षर प्रभारी

नाम..

पद ....

मय मोहर ....

(Annex-VI)

कार्यालय मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष.................................. मासिक व्यय विवरणपत्र माह..................................

क.स.	रैफर सरकारी चिकित्सालय का नाम /पत्रांक/दिनांक	रैफर्ड केसेज् की संख्या	जरी बीसी/डीडी की संख्या	कुल राशि	चिन्हित निजी चिकित्सालय का नाम	रैफर्ड केसेज् की संख्या	डिस्चार्जड मरीजों की संख्या	अन्तर	बीसी/डीडी की संख्या	कुल आहरित राशि	अन्य विवरण
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

क्र.स.	रैफर सरकारी चिकित्सालय का नाम /पत्रांक/दिनांक	रैफर्ड केसेज् की संख्या	जरी बीसी/डीडी की संख्या	कुल राशि	चिन्हित निजी चिकित्सालय का नाम	रैफर्ड केसेज् की संख्या	डिस्चार्जड मरीजों की संख्या	अन्तर	बीसी/डीडी की संख्या	कुल आहरित राशि	अन्य विवरण
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
योग											